निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 857) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 156, दिनांक 22 जुलाई 2026— औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 18 तथा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग, बिहार, ट्रेड यूनियनों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की रीति एवं प्रक्रिया निम्नवत् अधिसूचित करता है, अर्थात् :–

1. **आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र व्यक्ति।**–निम्नलिखित व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :–
   (क) एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन, यदि विवाद एक ट्रेड यूनियन एवं दूसरी ट्रेड यूनियन के मध्य हो;
   (ख) एक या अधिक कामगार, जो किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हों तथा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण, प्रशासन, प्रबंधन अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के संबंध में व्यथित हों;
   (ग) एक या अधिक कामगार, जिन्हें किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता प्रदान करने से इंकार किया गया हो;
   (घ) ट्रेड यूनियनों के किसी परिसंघ की ओर से विधिवत् प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, यदि विवाद उक्त परिसंघ से संबंधित हो।

2. **आवेदन प्रस्तुत करने की विधि ।**–प्रपत्र–VIII में आवेदन निम्नलिखित किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा :–
   (क) श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग द्वारा नामित वेब–पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में;

(ख) संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार को संबोधित पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा;

(ग) अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर;

(घ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी इलेक्ट्रॉनिक मंच अथवा ऑनलाइन शिकायत एवं विवाद निवारण प्रणाली के माध्यम से।

3. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज।**–प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे ;

(क) जहाँ लागू हो, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति;

(ख) जहाँ लागू हो, आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को अधिकृत करने वाले संकल्प अथवा प्राधिकरण–पत्र की प्रति;

(ग) विवाद उत्पन्न होने के तथ्यों का विवरण;

(घ) आवेदक द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियाँ;

(ङ) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें उपलब्ध होने पर डाक पता, ई–मेल पता एवं मोबाइल संख्या शामिल हो; तथा

(च) विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु प्रासंगिक समझा जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज।

4. **आवेदन की जांच।**–

(1) आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगा।

(2) यदि कोई त्रुटि अथवा कमी पाई जाती है, तो न्यायाधिकरण आवेदक को उसे दूर करने हेतु युक्तियुक्त समय प्रदान कर सकेगा।

(3) आवेदन को उस तिथि से विधिवत् संस्थित माना जाएगा, जिस तिथि को सभी त्रुटियाँ अथवा कमियाँ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के अनुसार दूर कर दी जाएंगी।

5. **आवेदन की पावती ।**–

(1) इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दाखिल किए जाने की स्थिति में, एक विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित इलेक्ट्रॉनिक पावती उत्पन्न की जाएगी।

(2) भौतिक रूप से अथवा डाक के माध्यम से आवेदन दाखिल किए जाने की स्थिति में, न्यायाधिकरण प्राप्ति की तिथि एवं डायरी संख्या अंकित करते हुए पावती जारी करेगा।

6. **सूचना की तामील ।**–आवेदन स्वीकार किए जाने के उपरांत न्यायाधिकरण विपक्षी पक्ष को निम्नलिखित माध्यमों से सूचना की तामील करने का निर्देश दे सकेगा ;

(क) पंजीकृत डाक;

(ख) स्पीड पोस्ट;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई–मेल);

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक संदेश मंच; अथवा

(ङ) न्यायाधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य माध्यम।

7. **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का संधारण ।**–श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग, संहिता की धारा 22 के अधीन दाखिल सभी आवेदनों, अभिवचनों (Pleadings), सूचनाओं, आदेशों एवं कार्यवाहियों का रजिस्टर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारित कर सकेगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–162/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 157, एस० ओ० 156 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–163/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 156, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by Rule 18 of the Industrial Relations (Bihar) Rules, 2026, read with sub-section (1) of section 22 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department, Bihar hereby notify the mode and manner of making application before the Industrial Tribunal for adjudication of disputes relating to Trade Unions, namely:—

1. ***Persons entitled to make application.***— The following persons may file an application before the Tribunal having jurisdiction, namely:—

(a) a registered Trade Union in case of a dispute between one Trade Union and another Trade Union;

(b) one or more workers who are members of a Trade Union and are aggrieved regarding registration, administration, management or election of office-bearers of the Trade Union;

(c) one or more workers who have been refused admission as members of a Trade Union;

(d) an office-bearer duly authorised by a Trade Union which is a federation of Trade Unions in respect of disputes concerning such federation.

2. ***Mode of submission of application.***— An application in Form VIII may be submitted through any of the following modes:—

(a) electronically through the web portal designated by the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department;

(b) by registered post or speed post addressed to the Registrar of the concerned Industrial Tribunal;

(c) by physical submission in person at the office of the Industrial Tribunal having jurisdiction;

(d) through such electronic platform or online grievance and dispute resolution system as may be notified by the State Government from time to time.

3. ***Documents to accompany application.***— Every application shall be accompanied by—

(a) a copy of the registration certificate of the Trade Union, where applicable;

(b) copy of the resolution or authorization empowering the applicant to file the application, where applicable;
(c) statement of facts giving rise to the dispute;
(d) copies of documents relied upon by the applicant;
(e) details of the parties to the dispute including postal address, e-mail address and mobile number, wherever available; and
(f) any other document considered relevant for adjudication of the dispute.

4. ***Scrutiny of application .—***

(1) Upon receipt of the application, the Tribunal shall scrutinize the application and accompanying documents.
(2) Where any defect or deficiency is noticed, the Tribunal may grant reasonable time to the applicant to rectify the same.
(3) An application shall be deemed to be duly instituted on the date on which all defects, if any, are removed to the satisfaction of the Tribunal.

5. ***Acknowledgement of application.—***

(1) In case of electronic filing, an electronic acknowledgement bearing a unique reference number shall be generated.
(2) In case of physical filing or filing through post, the Tribunal shall issue an acknowledgement indicating the date of receipt and diary number.

6. ***Service of notice.—*** After admission of the application, the Tribunal may direct service of notice upon the opposite party through—

(a) registered post;
(b) speed post;
(c) electronic mail;
(d) electronic messaging platform approved by the State Government; or
(e) any other mode deemed appropriate by the Tribunal.

7. ***Maintenance of electronic records .—***The Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department may maintain register or electronic records of all applications, pleadings, notices, orders and proceedings filed under section 22 of the Code.

(No. 01/IRC-10-03/2025-162/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 857-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 856) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 154, दिनांक 22 जुलाई 2026— औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 17 के उप–नियम (3) तथा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की उप–धाराओं (3), (4) एवं (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग, बिहार, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकार संघ की मान्यता अथवा वार्ताकार परिषद् के गठन हेतु कामगारों की सदस्यता सत्यापन तथा ऐसी वार्ताकार संघ अथवा परिषद् को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है, अर्थात् :–

1. **सत्यापन प्राधिकारी की नियुक्ति।**–

(1) संहिता की धारा 14 के अधीन ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन हेतु राज्य सरकार संयुक्त श्रम आयुक्त से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को सत्यापन प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) सत्यापन प्राधिकारी को उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम अधीक्षक अथवा श्रम आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकेगी।

2. **सत्यापन प्रक्रिया का प्रारम्भ ।**–

(1) वार्ताकार संघ की मान्यता अथवा वार्ताकार परिषद् के गठन की प्रक्रिया सामान्यतः वर्तमान वार्ताकार संघ अथवा परिषद् के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पूर्व प्रारम्भ की जाएगी।

(2) औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन मान्यता हेतु नियोजक को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी;

(क) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति;

(ख) पदाधिकारियों की सूची;

(ग) सदस्यों की सूची;
(घ) सदस्यता शुल्क का विवरण; तथा
(ङ) ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन।

3. गणना तिथि का निर्धारण ।–

(1) सत्यापन प्राधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मस्टर रोल में दर्ज पात्र कामगारों के निर्धारण हेतु एक गणना तिथि निर्धारित करेगा।

(2) गणना तिथि को मस्टर रोल में दर्ज सभी कामगार सत्यापन के प्रयोजनार्थ पात्र कामगार माने जाएंगे।

4. मस्टर रोल की तैयारी एवं सत्यापन ।–

(1) नियोजक गणना तिथि के अनुसार कामगारों का पूर्ण मस्टर रोल तैयार कर सत्यापन प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(2) मस्टर रोल में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगेः–
(क) कामगार का नाम;
(ख) पिता अथवा पति/पत्नी का नाम;
(ग) कर्मचारी संख्या अथवा पहचान–पत्र संख्या;
(घ) पदनाम;
(ङ) विभाग अथवा पदस्थापन स्थल;
(च) नियोजन की श्रेणी; तथा
(छ) नियुक्ति की तिथि।

(3) सत्यापन प्राधिकारी सभी भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों एवं नियोजक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मस्टर रोल का परीक्षण करेगा।

(4) किसी कामगार के नाम को सम्मिलित अथवा विलोपित किए जाने संबंधी आपत्तियाँ प्रारम्भिक सूची के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत सत्यापन प्राधिकारी अंतिम मतदाता सूची को अनुमोदित करेगा।

5. मतदाता सूची का प्रकाशन ।–

(1) नियोजक प्रारम्भिक मतदाता सूची को सूचना पट्ट पर तथा जहाँ उपलब्ध हो, प्रतिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(2) सत्यापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के दो दिनों के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसकी प्रति सभी भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. सदस्यता सत्यापन की पद्धति ।–

(1) सदस्यता का सत्यापन सामान्यतः गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(2) सत्यापन प्राधिकारी मतदान की प्रस्तावित तिथि से कम–से–कम बीस दिन पूर्व सभी भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों एवं नियोजक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करेगा।

(3) बैठक में निम्नलिखित विषयों का निर्धारण किया जाएगा;
(क) मतदान की तिथि, समय एवं स्थान;
(ख) मतदान की पद्धति;
(ग) ट्रेड यूनियनों को चुनाव चिह्नों का आवंटन;
(घ) मतगणना की तिथि, समय एवं स्थान; तथा
(ङ) निर्वाचन संबंधी अन्य व्यवस्थाएँ।

(4) यदि सहमति नहीं बनती है, तो सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

7. गुप्त मतदान का संचालन ।–

(1) मतदान निम्नलिखित माध्यमों से कराया जा सकेगा;
(क) मतपत्र;
(ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन; अथवा
(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सुरक्षित डिजिटल मतदान मंच।

(2) मतदान गुप्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा।

(3) भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों के प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान एवं मतगणना के समय उपस्थित रह सकेंगे।

(4) सत्यापन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतदान प्रक्रिया किसी प्रकार के दबाव, भयादोहन अथवा अनुचित श्रम व्यवहार से प्रभावित न हो।

8. **परिणाम की घोषणा ।**–

(1) मतगणना पूर्ण होने के उपरांत सत्यापन प्राधिकारी एक परिणाम पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :–

(क) पात्र मतदाताओं की कुल संख्या;

(ख) कुल डाले गए मत;

(ग) प्रत्येक ट्रेड यूनियन को प्राप्त मत; तथा

(घ) प्राप्त मतों का प्रतिशत।

(2) परिणाम तत्काल घोषित किया जाएगा तथा नियोजक एवं भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों को सूचित किया जाएगा।

9. **सत्यापन प्रतिवेदन ।**–सत्यापन प्राधिकारी नियोजक को एक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निष्कर्ष, मतदाता सांख्यिकी, मतदान का विवरण तथा वार्ताकार संघ की मान्यता अथवा वार्ताकार परिषद् के गठन संबंधी अनुशंसा सम्मिलित होगी।

10. **मान्यता ।**–नियोजक, सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर तथा संहिता की धारा 14 के अनुसार, ट्रेड यूनियन को वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता प्रदान करेगा अथवा वार्ताकार परिषद् का गठन करेगा।

11. **वार्ताकार संघ अथवा वार्ताकार परिषद् को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ ।**–नियोजक निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा;

(क) वार्ताकार संघ अथवा परिषद् की गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के प्रदर्शन हेतु प्रमुख स्थानों पर सूचना पट्ट;

(ख) प्रबंधन के साथ सामूहिक सौदेबाजी बैठकों हेतु उपयुक्त स्थान एवं आवश्यक सुविधाएँ;

(ग) सदस्यों के मध्य बैठकों हेतु उपयुक्त स्थान;

(घ) सेवा शर्तों, कल्याण, सुरक्षा एवं कार्य परिस्थितियों से संबंधित विषयों हेतु, सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन, पदाधिकारियों को प्रतिष्ठान में प्रवेश की अनुमति;

(ङ) तीन सौ या उससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में फर्नीचर, विद्युत, इंटरनेट तथा मूलभूत कार्यालय सुविधाओं सहित कार्यालय कक्ष;

(च) कामगारों की लिखित स्वीकृति पर वेतन से सदस्यता शुल्क की कटौती की सुविधा;

(छ) यूनियन गतिविधियों से संबंधित परिपत्रों एवं सूचनाओं के प्रदर्शन की सुविधा;

(ज) गोपनीयता एवं डाटा संरक्षण आवश्यकताओं के अधीन, कामगारों से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं तक पहुँच;

(झ) प्रबंधन के साथ निर्धारित बैठकों में भाग लेने के दौरान पदाधिकारियों को ड्यूटी पर माना जाना; तथा

(ञ) नियोजक एवं वार्ताकार संघ अथवा परिषद् के बीच पारस्परिक सहमति से निर्धारित अन्य सुविधाएँ।

12. **अभिलेखों का संधारण ।**–नियोजक तथा वार्ताकार संघ अथवा परिषद् सदस्यता सत्यापन, चुनाव, बैठकों एवं प्रदान की गई सुविधाओं से संबंधित अभिलेखों का न्यूनतम पाँच वर्षों तक संधारण करेंगे।

13. **विवादों का निवारण ।**–इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सत्यापन, मतदाता सूची, गुप्त मतदान के संचालन अथवा प्रदान की गई सुविधाओं से संबंधित किसी भी विवाद को श्रम आयुक्त, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय संहिता के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों के अधीन होगा।

परंतु और कि नियम 1 के अधीन नियुक्त सत्यापन प्राधिकारी को औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्त्ताकार संघ की मान्यता अथवा वार्त्ताकार परिषद् के गठन हेतु कामगारों की सदस्यता के सत्यापन के समय किसी संघ के आंतरिक विवाद के किसी सक्षम न्यायालय में लंबित होने के संबंध में सूचना मिलती है अथवा संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में विवादित संघ को छोड़कर सत्यापन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। संहिता की धारा 22 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार रखने

वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायनिर्णित किये जाने के बाद वार्त्ताकार संघ की मान्यता अथवा वार्त्ताकार परिषद् के गठन हेतु पुनः विचार किया जा सकेगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–148/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 155, एस० ओ० 152 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–149/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 154, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of Rule 17 of the Industrial Relations (Bihar) Rules, 2026, read with sub-sections (3), (4) and (7) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department hereby prescribes the following guidelines and procedures for verification of workers on the muster roll of an industrial establishment for recognition of a Negotiating Union or constitution of a Negotiating Council and for providing facilities to such Negotiating Union or Negotiating Council, namely:-

1. ***Appointment of Verification Authority*** .—

(1) For the purpose of verification of membership of Trade Unions under section 14 of the Code, the State Government shall appoint an authority not below the rank of **Joint Labour Commissioner as Verification Authority**.

(2) The Verification Authority may be assisted by Deputy Labour Commissioners, Assistant Labour Commissioners, Labour Superintendents or any other officers authorized by the Labour Commissioner.

2. ***Initiation of Verification Process***.—

(1) The process for recognition of Negotiating Union or constitution of Negotiating Council shall ordinarily commence not later than three months before the expiry of the tenure of the existing Negotiating Union or Negotiating Council.

(2) Any registered Trade Union operating in the industrial establishment may submit an application to the employer seeking recognition along with—

(a) copy of registration certificate;

(b) list of office bearers;

(c) list of members;

(d) details of membership subscription; and

(e) latest annual return filed before the Registrar of Trade Unions.

3. ***Fixation of Date of Reckoning .—***

(1) The Verification Authority shall fix a date of reckoning for determining the eligible workers borne on the muster roll of the industrial establishment.

(2) All workers whose names appear on the muster roll on the date of reckoning shall be treated as eligible workers for the purpose of verification.

4. ***Preparation and Verification of Muster Roll***

(1) The employer shall prepare and submit to the Verification Authority the complete muster roll of workers as on the date of reckoning.

(2) The muster roll shall contain:

(a) Name of worker;

(b) Father's or spouse's name;

(c) Employee number or identity card number;

(d) Designation;

(e) Department or place of posting;

(f) Category of employment; and

(g) Date of joining.

(3) The Verification Authority shall scrutinize the muster roll in the presence of representatives of all participating Trade Unions and representatives of the employer.

(4) Objections regarding inclusion or exclusion of any worker shall be filed within seven days from publication of the provisional list.

(5) After disposal of objections, the Verification Authority shall approve the final voter list.

5. ***Publication of Voter List .—***

(1) The employer shall publish the provisional voter list on the notice board and, where available, on the official website of the industrial establishment.

(2) The final voter list approved by the Verification Authority shall be displayed within two days of finalization and a copy thereof shall be supplied to all participating Trade Unions.

6. **Method of Verification of Membership**

(1) Verification of membership shall ordinarily be conducted through secret ballot.

(2) The Verification Authority shall convene a meeting of all participating Trade Unions and employer representatives at least thirty days before the proposed date of voting.

(3) The meeting shall determine:

(a) date, time and venue of voting;

(b) mode of voting;

(c) allotment of symbols to Trade Unions;

(d) date, time and venue of counting; and

(e) other election modalities.

(4) Where consensus is not reached, the decision of the Verification Authority shall be final.

7. ***Conduct of Secret Ballot*** .—

(1) Voting may be conducted through:

(a) ballot papers;

(b) electronic voting machines; or

(c) secured digital voting platforms approved by the State Government.

(2) Voting shall be secret, free and fair.

(3) Authorized representatives of participating Trade Unions may remain present during polling and counting.

(4) The Verification Authority shall ensure that no coercion, intimidation or unfair labour practice affects the voting process.

8. ***Declaration of Result***.—

(1) After completion of counting, the Verification Authority shall prepare a result sheet indicating—

(a) total number of eligible voters;

(b) total votes polled;

(c) votes secured by each Trade Union; and

(d) percentage of votes obtained.

(2) The result shall be announced immediately and communicated to the employer and participating Trade Unions.

9. ***Verification Report.***—The Verification Authority shall submit a verification report to the employer containing findings, voter statistics, polling details and recommendation regarding recognition of Negotiating Union or constitution of Negotiating Council.

10. ***Recognition.***—The employer shall recognize the Trade Union as Negotiating Union or constitute the Negotiating Council in accordance with section 14 of the Code on the basis of the verification report.

11. ***Facilities to Negotiating Union or Negotiating Council.***—

The employer shall provide the following facilities:

(a) Notice boards at conspicuous places for display of information relating to activities of the Negotiating Union or Negotiating Council;

(b) Suitable venue and necessary facilities for collective bargaining meetings with management;

(c) Suitable venue for meetings amongst members of the Negotiating Union or constituents of the Negotiating Council;

(d) Access to office bearers of the Negotiating Union or Negotiating Council to enter the industrial establishment for matters concerning service conditions, welfare, safety and working conditions of workers, subject to security requirements;

(e) Office accommodation with furniture, electricity, internet connectivity and basic office facilities in establishments employing three hundred or more workers;

(f) Facility for deduction of membership subscription from wages upon written authorization of workers;

(g) Display of circulars and notices relating to union activities on designated notice boards;

(h) Access to relevant information concerning workers, subject to confidentiality and data protection requirements;

(i) Treatment of office bearers as on duty while participating in scheduled meetings with management;

(j) Such additional facilities as may be mutually agreed between the employer and the Negotiating Union or Negotiating Council.

12. ***Maintenance of Records*** **.**—The employer and the Negotiating Union or Negotiating Council shall maintain records relating to membership verification, elections, meetings and facilities provided under these guidelines for a minimum period of five years.

13. ***Resolution of Disputes.***— Any dispute relating to verification, voter list, conduct of secret ballot or facilities provided under these guidelines shall be referred to the Labour Commissioner, Bihar, whose decision shall be subject to remedies available under the Code.

However, if the verification authority appointed under Rule 1 receives information or becomes aware of an internal dispute in union pending within any competent court during the verification of workers' membership for the purpose of recognizing a negotiating union or constituting a negotiating council in an industrial establishment, the verification process shall be completed excluding the disputed union. The matter of recognizing a negotiating union or constituting a negotiating council may be reconsidered after the dispute has been adjudicated by the Industrial Tribunal having jurisdiction under Section 22 of the Code..

(No. 01/IRC-10-03/2025-148/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 856-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 855) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 152, दिनांक 22 जुलाई 2026— औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सभी उप श्रमायुक्त, को शमन पदाधिकारी नियुक्त करते है।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–146 / श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 153, एस० ओ० 152 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–147 / श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 152, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 89 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint All Deputy Labour Commissioners as Compounding Officers.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/IRC-10-03/2025-146/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 855-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 854) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 150, दिनांक 22 जुलाई 2026—औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 43 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम, सभी श्रम अधीक्षक, सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी उप श्रमायुक्त, सभी संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, बिहार को संराधन पदाधिकारी नियुक्त करते है।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–144/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 151, एस० ओ० 150 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–145/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 150, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 43 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint All Labour Superintendent (Act), All Labour Superintendent, All Assistant Labour Commissioner, All Deputy Labour commissioner, All Joint Labour commissioner, Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Bihar as Conciliation Officers.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/IRC-10-03/2025-144/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 854-571+200-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 853) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 148, दिनांक 22 जुलाई 2026––औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 5 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ श्रमायुक्त, बिहार को श्रमिक संघों का निबंधक नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–142/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 149, एस० ओ० 148 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–143/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 148, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 5 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint Labour Commissioner, Bihar as Registrar of Trade Unions.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/IRC-10-03/2025-142/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 853-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 852) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 146, दिनांक 22 जुलाई 2026—औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 2g एवं धारा 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अध्याय–IV के प्रयोजनार्थ सभी संयुक्त श्रमायुक्त को क्रमशः प्रमाणीकरण पदाधिकारी एवं श्रमायुक्त, बिहार को अपीलीय प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–140/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 147, एस० ओ० 146 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–141/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 146, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by section 2g and section 32 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint all Joint Labour Commissioners as the Certifying Officers and the Labour Commissioner, Bihar, as the Appellate Authority for the purposes of Chapter IV of the Code

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/IRC-10-03/2025-140/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 852-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 851) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 144, दिनांक 22 जुलाई 2026—औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 85 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ श्रमायुक्त, बिहार, अपर श्रमायुक्त एवं सभी संयुक्त श्रमायुक्त को अनुसंधान करने वाले पदाधिकारी नियुक्त करते है।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–138/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

---

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 145, एस० ओ० 144 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025–139/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 144, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 85 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint Labour Commissioner, Bihar, Additional Labour Commissioner and All Joint Labour Commissioner as Officers for holding enquiry.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/IRC-10-03/2025-138/ L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
***Special Secretary to the Government*.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 851-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in